न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 79/2018
3. उनवान : बाला देवी पत्नी प्रभातीलाल निवासी ग्राम मांचवा हाल निवासी चिरनोटिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2.लक्ष्मण सिह पुत्र भंवर सिंह
3.गुमान सिंह पुत्र बलवन्द सिंह निवासी ग्राम चिरनोटिया हाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर (मृतक)
3/1 सुमेर सिंह पुत्र स्व0 गुमान सिह
3/2 सुगन सिंह पुत्र स्व0 गुमान सिह
निवासी ग्राम चिरनोटिया हाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर
3/3 शिवाजी सिह पुत्र स्व0 गुमान सिंह (फौत)
3/3/1 विनोद कंवर पत्नी स्व0 शिवाजी सिह
3/3/2 भोजराज सिंह पुत्र स्व0 शिवाजी सिह
3/4 शंकर सिंह पुत्र स्व0 गुमान सिंह
3/5 आनन्द कंवर पुत्री स्व0 गुमान सिंह
3/6 अनोप कंवर पुत्री स्व0 गुमान सिंह
4.जीवन सिह पुत्र मदन सिंह
5.हरिसिंह पुत्र ज्ञान सिंह (फौत)
5/1 पुष्पेन्द्र सिह पुत्र हरिसिंह
5/2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह
5/3 उपेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह
5/4 बजरंग सिंह पुत्र हरिसिंह
5/5 कुदमसिह पुत्र हरिसिंह
6.किशोर सिह पुत्र ज्ञान सिह (फौत)
6/1 उछव कंवर पत्नी किशोर सिंह
6/2 प्रताप सिंह पुत्र किशोर सिंह
6/3 विरेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह
6/4 गोपाल कंवर पुत्री किशोर सिंह
6/5 उषा कंवर पुत्री किशोर सिंह
6/6 कैलाश कंवर पुत्री किशोर सिंह
7.पेहप सिंह पुत्र समन्दर सिंह
8.सरदार सिंह पुत्र समन्दर सिंह
9.गोपाल सिंह पुत्र समन्दर सिंह
10. रणजीत सिंह पुत्र समन्दर सिह (फौत)
10/1 कमल कंवर पत्नी रणजीत सिंह
10/2 सुरज्ञान सिंह पुत्र रणजीत सिंह
10/3 हिम्मत सिंह पुत्र रणजीत सिंह
10/4 सुमन कंवर पुत्री रणजीत सिंह
11.किशन सिंह पुत्र समन्दर सिंह
12.मानसिंह पुत्र नारायण सिंह
13.गुलाब सिंह पुत्र नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासियान ग्राम चिरनोटिया हाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
11.तारामणी जैन पत्नी रमेशचन्द जैन निवासी मुरलीपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी अपीलार्थीगण की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निर्णय

अपील विरूद्ध तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के निर्णय दिनांक 11.06.2014 नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोबनेर, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 1/2, 8/3, 9 कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, जो प्रार्थी अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है तथा खसरा नंबर 1/1 रकबा 2 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 14 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है व काबिज काश्त की भूमि रही है। भूमि खसरा नंबर 1, 8/3, 9, 29 कुल किता 4 कुल रकबा 29 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में गुमान सिंह पुत्र श्री बलवन्द सिंह निवासी ग्राम चिरनोटिया में अंकित है व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उपरोक्त आराजी में से खसरा नंबर 1, खसरा नंबर 8/3 व 9 कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये विक्रयपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ने गुमान सिह पुत्र बलवन्द सिंह से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2004 को क्रय करके नामान्तरकरण संख्या 246 नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जांच कर तस्दीक किया व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 द्वारा जो भूमि खसरा नंबर 1, 8/3, 9 कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा की काबिज काश्त खातेदार काश्तकार रही, से जरिये विक्रय पत्र द्वारा अपीलान्ट ने दिनांक 17.11.2004 को उपरोक्त आराजी में से 2 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 14 विक्रेता को छोडकर शेष आराजी क्रय कर ग्राम पंचायत मुरलीपुरा द्वारा जांच कर नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 20.11.2004 स्वीकार कर इसी अनुसार अपीलान्ट का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किया तथा उसी अनुसार अपीलान्ट उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर पुख्ता मकानात बनाकर व पुख्ता चाह बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन काबिज काश्त चला आ रहा है तथा शेष भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14 काबिज हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो अपीलान्ट की क्रय शुदा भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपीलान्ट काबिज काश्त है, को बिना पक्षकार बनाये सुनवाई का अवसर दिये बिना साक्ष्य, सबूत से वंचित रखते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 को दिनांक 11.06. 2014 को खारिज कर दिया, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये व उसमें अंकित खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाने की मंशा नहीं रखते हुए अपीलान्ट को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित रखने की मंशा रखते हुए उक्त आदेश पारित किया है। उपरोक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान खातेदार काश्तकारान के कब्जे काश्त व मौके की जांच किये बिना मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से क्रय कर काबिज काश्त है और वह जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उपरोक्त आराजीयात को राज्य सरकार को उचित शुल्क अदा कर विक्रय पत्र तस्दीक कराया है। जिसको सक्षम न्यायालय सिविल (कोर्ट) में चैलेन्ज किये बिना अपीलान्ट को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट जिसके खातेदारी अधिकार काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है तथा मौके पर काबिज काश्त है, जिसके हक व अधिकार उक्त आराजीयात में निहित है, को दरकिनार करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 15.09.2014 को हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करने के संबंध में प्राप्त प्रति अपीलान्ट को बताने से हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था। इसलिए अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं ऑर्बिट्रेरी एवं कॉन्ट्रक्टरी ऑफ लॉ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने 37 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय से पूर्व मियाद जैसे कानूनी अहम

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

बिन्दू को दरकिनार कर उस पर कोई निर्णय पारित नहीं कर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अन्य के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नंबर 1, 8/3, 9 कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये विकयपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ने गुमान सिह पुत्र बलवन्द सिंह से जरिये विकय पत्र दिनांक 31.07.2004 को कय की, जिसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 246 तस्दीक किया व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से उक्त भूमि जरिये विकय पत्र द्वारा अपीलान्ट ने दिनांक 17.11.2004 को उपरोक्त आराजी में से 2 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 14 विकेता को छोडकर शेष आराजी कय कर ली एवं ग्राम पंचायत मुरलीपुरा द्वारा जांच कर नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 20.11.2004 स्वीकार किया गया। अपीलान्ट उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर पुख्ता मकानात बनाकर व पुख्ता चाह बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन काबिज काश्त चला आ रहा है तथा शेष भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14 काबिज हैं। उक्त भूमि अपीलान्ट की कय शुदा भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। बावजूद इसके अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये सुनवाई का अवसर दिये बिना साक्ष्य, सबूत से वंचित रखते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 दिनांक 11.06.2014 को खारिज कर दिया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान खातेदार काश्तकारान के कब्जे काश्त व मौके की जांच नहीं की। सक्षम न्यायालय सिविल (कोंर्ट) में चैलेन्ज किये बिना अपीलान्ट को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 15.09.2014 को हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करने के संबंध में प्राप्त प्रति अपीलान्ट को बताने से हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं ऑर्बिट्रेरी एवं कॉन्ट्रक्टरी ऑफ लॉ होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वार लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है एवं यह प्लीली है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी 15.09.2014 को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुई, जबकि 2003 आर.आर.टी. पार्ट 2 पेज 27 आर.आर.डी 1989 पेज 492 आर.आर.डी 1990 पेज 454 में विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा कहने पर किसी बात का ज्ञान होने बाबत बताया है, तो उस पटवारी हल्का के बयान आवश्यक है उक्त प्रकरण में न तो पटवारी हल्का का शपथ पत्र पेश किया गया है, क्योंकि अपीलान्ट को न्यायालय के आदेश का सदैव ज्ञान था। इस कारण अपील खारिज योग्य है। खसरा नंबर 1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 8 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 9 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा कुल 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि है। जिसके भंवर सिंह व नन्द सिंह पुत्र बलदेव सिंह 1/6 हिस्सा, गुमान सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 1/6 हिस्सा एवं दिनांक 29.01.1968 को बिना प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना ही राजस्व प्रविष्टियों में अकेले गुमान सिह के खातेदारी कर दी। जिसका ज्ञान होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विधिवत कार्यवाही तहसीलदार ने की। तहसीलदार ने सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड देखने के पश्चात अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 11.06.2014 को नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 को निरस्त फरमाया, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने राजस्व अपील संख्या

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

171/05 लक्ष्मण सिंह बनाम गुमान सिंह न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर में पेश की, जिसका निर्णय दिनांक 16.08.2010 को अपील स्वीकार फरमाते हुए किया गया। जिसमें भी दिनांक 29.01.1968 के नामान्तरकरण को निरस्त किया गया। गुमान सिह ने गैरकानूनी कार्यवाही कर राजस्व प्रविष्टियों के केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अन्य सहखातेदारान के राजस्व हकों को हनन करने की अवैध कार्यवाही की है एवं राजस्व प्रविष्टियों में गलत इन्द्राज के राजस्व हकों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। इस वजह से अपील निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

हम अपीलार्थी की अपील एवं रेस्पोडेन्ट के जवाब, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा उभयपक्ष की बहस का अवलोकन/मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 द्वारा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.06.2014 की क्रियान्विति के क्रम में सम्यक् रूप से सुनवाई करते हुए तथा अखबार में सूचना प्रकाशित करते हुए दर्ज/स्वीकार किया गया है, जिसमें कोई वैधानिक/प्रकियात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का सवाल है, अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन विवादित आराजीयात को दिनांक 17.11.2004 को क्रय किया गया है, जबकि उक्त दिनांक से पहले विवादित आराजीयात बाबत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक न्यायालय में दिनांक 30.10.2004 को वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन था तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर में भी विचाराधीन होना विदित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का लोकस स्टैण्डाई प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध ज्ञात होता है, जबकि अपीलार्थी के वाद बाबत घोषणा के अधिकार सुरक्षित है। अपीलार्थी द्वारा पेश नजीरें प्रकरण में सम्यक् रूप से चस्पा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज योग्य ज्ञात होती है।

अतः अपीलार्थी की अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 29.01.1968 द्वारा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।